

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

बाधसिंह

बनाम

कृष्णपालसिंह

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 239/2022 | 359

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

23/5/2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती बाधसिंह

पिता श्री मदनसिंह राजपूत

निवासी- घरियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

घरियावली स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 1001, 664, 669, 670, 983 कीता 5 रकबा 1.5200, 668 रकबा 0.0600, 990, 994 कीता 2 रकबा 0.0300

कुल कीता 8 कुल रकबा 1.5100 है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम घरियावली स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 1001, 664, 669, 670, 983 कीता 5 रकबा 1.5200 हे० 668 रकबा 0.0600 हे०, 990, 994 कीता 2 रकबा 0.0300

कुल कीता 8 रकबा 1.5100 है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 10000.00 रुपये अक्षरे ए.क. हतीरे रूपर प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्त पर पेश हो।



(सबम सुन्दर विभनेई)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)